

भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/27/2012-अ.भा.से.-।

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय


(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 7 अगस्त, 2012

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गुजरात सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री आरती लाल, भा.प्र. से. (गुजरात: 10) को श्री गौरव शर्मा, भा.पु.से. (एजीएमयूटी: 09) के साथ विवाह के आधार पर, गुजरात संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है ।



(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23092695

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)